रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 1974/माघ 22, 1895

No. 69] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 11, 1974/MAGHA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Office of the Controller of Capital Issues)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February 1974

S.O. 100(E).—In pursuance of sub-clause (ix) of clause 5 of the Capital Issues (Exemption) Order, 1969, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 558, dated the 1st February, 1969, the Central Government hereby directs that during the calendar year 1974 no offer of securities in excess of Rs. 249 lakhs (Nominal value) (exclusive of amount to be subscribed by the Government and non-residents) by a public limited company shall be made or kept open during the period between the 1st July, 1974 and the 31st August, 1974 (both days inclusive) without obtaining the prior permission of the Central Government as to the timing of the offer.

[No. F.2(1)-CCI/74]

R. M. BHANDARI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1974

सा० आ० 100 (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 1 फरवरी, 1969 के सांविधिक आदेश संख्या 558 की अधिसूचना के साथ प्रकाशित पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 की धारा 5 की उपधारा (IX) के अनुसार केंद्रीय सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि 1974 के कलेण्डर वर्ष में किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा, 1 जुलाई, 1974 और 31 अगस्त, 1974 के बीच की अवधि में (जिसमें दोनों दिन शामिल हैं), 249 लाख रुपये (अंकित मूल्य) (सरकार और अनिवासियों द्वारा लगायी जाने वाली रकम को छोड़ कर) से ज्यादा रकम की प्रतिभूतियां, बिक्री के लिए जारी करने अथवा इनकी बिक्री जारी रखने से पहले, इनके समय के बारे, केन्द्रीय सरकार को पूर्वानुमति लेनी होगी ।

[सं० एफ 2(1)—सी०सी०आई० /74]

रणजीत मल भण्डारी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974